अनुलग्नक IV

खरीद सुरक्षा बीमा के लिए दावा प्रक्रिया

एसबीआई गोल्ड/प्राइड/प्लेटिनम/प्रीमियम/सिग्नेचर डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टरकार्ड)

1. **पॉलिसी संख्या: 3312-400401-23-1000046-00-000**
   (कृपया ध्यान दें: बीमा कंपनी के साथ प्रत्येक कम्यूनिकेशन में पॉलिसी नंबर का उल्लेख करें।)
2. **दावेदार(ओं) को स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत पोस्ट / कूरियर / ईमेल / व्यक्तिगत रूप से / टेली-कॉल के माध्यम से खरीद सुरक्षा बीमा सूचना फॉर्म को नीचे दिए गए पते पर दावा फॉर्म कार्ड उत्पाद प्रस्तुत करना होगा:**

   लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस,
   4था तल लिबर्टी हेल्थ 360,
   कैपिटल न्यू डीपी रोड,
   विशाल नगर पुणे,
   महाराष्ट्र
   पिन 411027

   ईमेल: pa&benefitclaims@libertyinsurance.in
   सीसी: shanker.ingvale@libertyinsurance.in Mob: 08657365921
   alka.chaudhary@libertyinsurance.in Mob: 08291823806
   madhavi@allianceinsurance.in; Mob: 7208984685

   कॉल सेंटर नंबर : 1800 2666 5844

3. **संलग्न कार्ड दावा कार्ड उत्पाद फॉर्म भरें।**
4. **विवरण भरने के बाद उपरोक्त ईमेल आईडी पर शेयर करें।**

क्र	अपेक्षित विवरण	
1	उत्पाद का प्रकार*	IPA
2	पॉलिसी संख्या	3312-400401-23-1000046-00-000
3	बीमित सदस्य की पारिवारिक आईडी	
4	पॉलिसी की अवधि	8th Aug 2023 to 7th Aug 2024
5	बीमित /कॉर्पोरेट नाम*	SBI
6	बीमित सदस्य/मृतक का नाम*	
7	जन्म तिथि (dd-mmm-yy)	
8	शहर*	
9	नुकसान की तिथि* (dd-mmm-yy)	
10	नुकसान का समय	
11	लाभ प्रकार टीटीडी / पीपीडी / पीटीडी / मृत्यु	
12	दावेदार का नाम*	
13	अनुमानित नुकसान	
14	संपर्क व्यक्ति *	
15	नुकसान का स्थान (शहर)*	
16	नुकसान स्थल का पता *	
17	संपर्क नंबर*	
18	ईमेल आईडी	

19	कार्ड के प्रकार (कृपया √ करें)	गोल्ड
20	मास्टरकार्ड	प्लेटिनम
	वीजा	बिजनेस प्राइड
		बिजनेस प्रीमियम
		सिग्नेचर
21	खाता संख्या	
22	खाते का प्रकार	बचत खाता / चालू खाता
23	क) किस शाखा में खाता है ख) शाखा कोड संख्या	क) ख) कोड संख्या:
24	डेबिट कार्ड का उपयोग करके खरीद की तारीख *	
25	खरीदी गई वस्तुएं*	
26	नुकसान का प्रकार*	
27	नुकसान का विवरण/टिप्पणियाँ	

अन्य नियम व शर्तें:

1) खरीद सुरक्षा बीमा: यह बीमा केवल पीओएस/ऑनलाइन पर पात्र एसबीआई डेबिट कार्ड का उपयोग करके खरीदी गई वस्तुओं (खराब होने वाली वस्तुओं, आभूषणों, कीमती पत्थरों को छोड़कर) के लिए, डेबिट कार्ड के प्रकार के अनुसार, डेबिट कार्डधारक को कवर करता है। यह पॉलिसी वाहन से चोरी और चोरी के प्रयास आदि सहित चोरी/सेंधमारी/घर तोड़ने के कारण बीमित संपत्ति के नुकसान की स्थिति में बीमित व्यक्ति/कार्डधारक को सुरक्षा प्रदान करती है। बीमित संपत्ति की खरीद तिथि से 90 दिनों तक के लिए यह कवर उपलब्ध रहेगा।
2) इस तरह के दावों का निपटान डेबिट कार्ड का उपयोग कर खरीद के बिल और कार्डधारक द्वारा घोषणा या उद्योग प्रेक्टिस के अनुसार कोई भी सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
3) किसी भी नुकसान/दावे के मामले में, कार्डधारक पुलिस प्राधिकारी को नुकसान की लिखित सूचना देगा। बीमा कंपनी द्वारा एफआईआर/अंतिम पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाएगा।
4) दावे का भुगतान किसी भी मूल्यह्रास राशि की कटौती किए बिना डेबिट कार्ड से संबंधित खाता विवरण में दिखाई देने वाली राशि के अनुसार किया जाएगा।
5) यदि डेबिट कार्ड धारक के पास एक या अधिक खातों में जारी किए गए एक से अधिक पात्र डेबिट कार्ड हैं, तो दावा उद्देश्य के लिए केवल एक डेबिट कार्ड ही मान्य होगा।
6) आवेदन प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी दावा निपटान की प्रक्रिया आरंभ करेगी। बीमा कंपनी दावा प्राप्ति स्वीकार करेगी। दावे से संबंधित पत्राचार बैंक को शामिल किए बिना सीधे दावेदार/नामांकित व्यक्ति के साथ किया जाएगा।
7) सभी निपटान/विवाद दावेदार और बीमा कंपनी के बीच होंगे और बैंक ऐसे विवादों में पक्षकार नहीं होगा।
8) दावा निपटान पूरी तरह से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होगी और किसी भी दावे/विवाद के प्रति बैंक की कोई देयता नहीं होगी।
9) बीमा कंपनी दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त होने पर, दावे की प्रक्रिया आरंभ करेगी। प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी किसी प्रकार भी अपेक्षाओं/कमियों को दावा प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर मांगा जाएगा। सभी दस्तावेज व्यवस्थित होने के कारण, बीमा कंपनी अंतिम दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवस के भीतर दावे का निपटान करेगी। 30 दिनों से अधिक की देरी पर, बीमा कंपनी आईआरडीए विनियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगी।
10) दावेदार को नुकसान होने के 7 दिनों के भीतर खरीद सुरक्षा बीमा सूचना फॉर्म (सूचना पत्र) जमा करना

होगा। यदि सूचना 7 दिनों के बाद दी जाती है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11) **सभी प्रकार से विधिवत भरा गया खरीद सुरक्षा दावा फॉर्म 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यानी, सूचना + दावा अवधि = 7 दिन + 23 दिन = अधिकतम 30 दिन), ऐसा नहीं करने पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

12) **दावा निपटान लिए, यदि आवश्यक हो, तो अन्य सहायक दस्तावेज/जानकारी मांगी जाएगी।**